

(162)

M. 33 ✓

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा, म०प्र०

R. 5508-के/16

राज० निगरानी क्र० / 016



रामचन्द्र केवट तनय रामसनेही उम्र-70 वर्ष निवासी मलैगवा, तह० हनुमना
जिला रीवा, म०प्र०.

----- आवेदक

बनाय

01- बजरंगी केवट तनय रामसनेही केवट उम्र-60 वर्ष निवासी ग्राम मलैगवा,
तह० हनुमना जिला रीवा, म०प्र०.

02- शासन म०प्र०

----- अनावेदक.

आवेदक श्री ओम से
श्री आर्यलेश पाठेय
द्वारा पेशा 24-11-16

कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
तहसीलदार, हनुमना जिला रीवा, म०प्र०.
प्र० क्र० 3-ए-3/2011-12 आदेश दिनांक
30.06.016 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० सं०
1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

॥01॥ यह कि भूमि नं० 79/1 रकबा 0.12ए०, स्थित ग्राम मलैगवा, तह०
हनुमना, जिला रीवा म०प्र० का आवेदक भूमिस्वामी एवं स्वत्व व अधिपत्यधारी
है। आवेदक एवं अनावेदक के मध्य 10 वर्ष पूर्व बंटवारा हो चुका है। बंटवारेके
अनुसन्धार अपने अपने हित्ते मे काबिज दखील है। भूमि नं० 79/1 आवेदक का
एवं 79/2 अनावेदक का है। आवेदक द्वारा अपने स्वत्व अधिपत्य की भूमि नं०

निरंतर....

(Handwritten signature)

राजस्व मण्डल


(162)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक R. 5508 - दो. 16 जिला- सीवा

रामचन्द्र केवट विरुद्ध वज्जरी केवट

(1)	(2)
19.12.18 -	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>आरकलेश पाठेप</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार / नायब तहसीलदार / राजस्व निरीक्षक, तहसील <u>हनुमान</u> के प्रकरण क्रमांक <u>03/अ.3/11.12</u> में पारित आदेश दिनांक <u>30-6-16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>14.3.19</u> को कलेक्टर <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>